अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1.0 भूमिका

1.1.1 लिंग भेद

1.1.2 स्वतंत्रता से पूर्व स्त्री का स्थान

1.1.3 स्वतंत्र भारत में स्त्री की स्थिति

1.1.4 महिला समाख्या

1.1.5 कार्य–योजना 1992 तथा महिला शिक्षा

1.1.6 संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट–1995

1.1.7 एन.सी.एफ. 2005

1.1.8 वर्ष 2001 कें राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति के प्रमुख उद्देश्य

1.1.9 महिलाओं के लिए अन्य शैक्षिक योजना

1.2 अध्ययन की आवश्यकता

1.3 समस्या कथन

1.4 अध्ययन के उद्देश्य

1.5 परिकल्पनाऐं

1.6 तकनीकी शब्दों की परिभाषाऐं

1.7 समस्या का सीमाकंन

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय Library

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1.0 भूमिका :–

ई. एच. कार प्रसिद्ध युरोपियन इतिहासकार इतिहास के बारे में कहते है कि ''इतिहास यह भूतकाल और वर्तमान इनमें निंरतर चलने वाला सुसंवाद है।'' यानी वर्तमान में रहकर हम भूतकाल को एक विश्लेषण कि नजर से देखते है। ''इतिहास के चार आयाम है स्थल, काल, समाज और व्यक्ती।'' वैसे समाज यह मानव कि आवश्यकताऐं के कारण बन चुका है तथा जैसे जैसे उसके ज्ञान में और आवश्यकताऐं में वृद्धी हो रही है वैसे–वैसे यह समाज फल फुल रहा है।

वैसे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य मे समाज देखा जाये तो प्राचीन से आधुनिक समय तक भारतीय समाज में विषमताऐं थी, जैसे कि जातीयता, आर्थिक विषमता, धर्म विषमता तथा स्त्री– पुरूष असमानता।

प्रस्तुत शोध कार्य में समाज में निम्न असमानता के बारे में विवरण लिया है। भारत में विशेषतः आधुनिक समय यानी 20वीं शताब्दी में स्त्रियों को पुरूष के बराबर हक मिलने के लिए अनेक महान व्यक्तियों ने प्रयास किये– महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर, महर्षि धोंड़ो कर्वे, आगरकर, रघुनाथ कर्वे आदि।

आज के समय में पुरूष जो काम कर सकते है वही काम स्त्रि भी कर सकती है। स्त्रि हर क्षेत्र में विज्ञान, तंत्रज्ञान, राजनीति, शिक्षा में आगे बढ रही है, परंतु स्त्रियों का जो प्रमाण और पद होना चाहिए वह कम

है। इसलिए भारतीय समाज में विस्तार के रूप में लिंग समानता आयी है, यह कहना कठिन होगा और यह भी कहना उचित नहीं होगा कि आज भी स्त्रि को पुरूष कि तुलना में निम्न दर्जा दिया जाता है।

इसलिए प्रस्तुत शोध कार्य में उसी मानसिकता को देखने का प्रयास किया गया है।

1.1.1 लिंग–भेद

वैसे तो जो प्राकृतिक भेद पुरूष और स्त्रि में है वह प्रजनन अंग से है। यह प्राकृतिक लैंगिक भिन्नता प्रजनन अंगो और उऩसे संबंधित आंतरीक संरचनाओं व जैविक क्रियाओं तक सीमित है। परंतु यह लैंगिक भिन्नता प्राकृतिक होती है।

लेकिन जो सामाजिक लिंग भिन्नता है वह समाज द्वारा बनाई गयी है, उसकी चलते स्त्री को पुरूष से अलग समझा गया। एक ओर सामाजिक लिंगभेद पुरूषत्व व नारीत्व के गुण निर्धारित करता है और दूसरी ओर यह भी तय करता है कि कौनसा काम स्त्री और पुरूष के लिए उचित और अनुचित है। सामाजिक लिंगभेद का स्वरूप समाज, संस्कृति और आर्थिक हालात के विभिन्न आयामों से प्रमाणित होता है।

यह सामाजिक लिंगभेद समाज के विभिन्न स्तरों में परोक्ष रूप से देखने को मिलता है, चाहे वह पारीवारिक क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, या फिर अधिकारों का क्षेत्र हो, या आर्थिक क्षेत्र हो।

स्त्रियों ने उनके हकों को लेकर लड़ाईयाँ लडी है फिर भी आज जिसमें कुछ में कामयाब हुई है तो कुछ कार्यो में अभी भी पिछे है। आधुनिकता का चोगा पहेना हमारे भारतीय समाज में राजकीय एवं

प्रशासनिक तथा संवैधानिक महत्वों में स्त्री को पुरूष के समान स्थान और अधिकार देने की बात की जाती है परंतु अनेक घटनाओं में अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर यह कहना भी व्यर्थ नहीं होगा कि स्त्री अधिकार की बातें ज्यादा और काम बहुत कम हुआ है।

इन्हीं सभी प्रश्नों और संभावनाओं को अमूर्त से मुर्त शाब्दिक रूप में ढालने के लिए तथा परिकल्पनाओं को जाँचने के लिए अध्ययनकर्ता द्वारा समाज में लिंग समानता के प्रति मानसिकता पर कार्य किया जा रहा है।

1.1.2 स्वतंत्रता से पूर्व स्त्री का स्थान :-

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education, Bhopal
Library

- **वैदिक युग-**

पूर्व वैदिक काल में स्त्री को पुरूष के समान अधिकार थे, जैसे शिक्षा लेना, सामाजिक उत्सव में सहभाग, तथा युद्ध में भाग लेना परंतु उत्तर वैदिक काल में इस अधिकारों पर पुरूष प्रधान (पितृसत्ताक) संस्कृति ने अपना अमल स्थापित किया और सभी अधिकार और सत्ता पुरूषों ने अपने हाथ में ली।

- **बौद्ध युग -**

प्राचीन बौद्ध युग में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्न होने से संघ में प्रवेश वर्जित था किन्तु बाद में महात्मा गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा देकर उसकी शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया। बाद में उनके लिए पृथक विहारों की स्थापना की गई।

- **मुस्लीम काल –**

मुस्लीम काल में स्त्री को पर्दा पद्धति में रहना पड़ा इसी कारण उन्हें शिक्षा के अवसर से दूर रहना पडा। उसे अपने राजमहल में ही कैदी की तरह रहना पडता था। मुस्लीम काल में स्त्री को पारिवारिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक हकों से दूर रखा गया और उनकी दखलअंदाजी भी पसंद नहीं थी, जैसे कि रजिया सुल्तान।

- **अंग्रेजी शासन काल में –**

भारत में 1601 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। इस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शिक्षा वैसे ही अपेक्षित थी। जो कुछ प्रयास किये थे केवल बालकों की शिक्षा के लिए किये गए थे। स्त्री शिक्षा को अनावश्यक मानकर उसकी ओर नाम मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण यह था कि उन्हें शासकीय एवं व्यवसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। ऐतिहासिक दृष्टी से ज्ञात होता है कि सन् 1854 से ही अंग्रेजी सरकार ने स्त्री शिक्षा की ओर रूचि का संकेत दिया है।

वुड डिस्पेच प्रतिवेदन– 1854–1882–

वुड डिस्पेच में कहा गया है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाये। भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोक निधि में से बालिकाओं की शिक्षा के लिये सहायता देना प्रारम्भ किया।

हण्टर कमीशन- (1882-1902)

हण्टर कमीशन ने पहली बार बालिकाओं की शिक्षा के प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की-

1. बारह वर्ष के ऊपर वाली बालिकाओं को शुल्क देने से मुक्त किया गया।

2. बालिकाओं को शिक्षित करने के लिये महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया गया।

3. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिये साधारण पाठ्यक्रम का प्रावधान रखा गया तथा समुचित पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था भी की गई।

परन्तु इन संस्तुतियों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

1.1.3 स्वतंत्र भारत में स्त्री की स्थिति -

स्वतंत्र भारत में नारी जाति ने करवट बदली है। उसने अपने वास्तविक महत्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया हैं स्त्री-शिक्षा के सभी क्षेत्रों में क्रांति परिलक्षित हो रही है। इस क्रांति से संबंधित तथ्य एवं परिणामों का विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत यथास्थान वर्णन किया गया है।

1. विश्व विद्यालय आयोग (1948-1949)

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे-

- स्त्रियों को पुरूष समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।
- ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्त्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बन सके।
- स्त्रियों के अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में योग्य पुरूषों और स्त्रियों द्वारा परामर्श किया जाये।

सन 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता ने स्वयं को अपना संविधान निष्ठापूर्वक अर्पित किया।

2. भारतीय संविधान में स्त्री शिक्षा –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) 16 (1) 16(2) में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार "राज्य किसी नागरीक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

भारत का संविधान

हमारा संविधान महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों के बारे में कहता है–

खण्ड तीन– मौलिक अधिकार

अनुच्छेद–14– कानून के समझ सत्ता–

भारत की सीमाओं के भीतर राज्यों में किसी भी व्यक्ति को कूनन के समक्ष समता अथवा समान कानूनी संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद–15– धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

1. राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ, धर्म, जाति, लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

2. इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं जो राज्य को महिलाऐं एवं बालकों के लिए प्रावधान से रोकता है।

अनुच्छेद–16– सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होगी–

1. राज्य के किसी भी पद पर सभी नागरिकों के लिए रोजगार या नियुक्तियों के मामलों में अवसर की समानता होगी।

2. किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, आवास अथवा अन्य ऐसे किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के संबंध में आर्हता से वंचित नहीं किया जाएगा और न उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा।

अनुच्छेद–19– अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता के तहत संविधान सभी नागरिकों को अधिकार देता है।

1. अपनी बात कहने का अधिकार (अभिव्यक्ति)
2. शांती पूर्वक रहने का एवं बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार।
3. संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार।
4. भारत की सीमाओं में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक जाने का अधिकार।
5. भारत की सीमाओं में भीतर किसी भी हिस्से में रहने अथवा बस जाने का अधिकार।

अनुच्छेद-21- जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता से कानून के तहत विधि का पालन किए बगैर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-22- इंसानों की खरीद फरोख्त एवं बेगार करने पर प्रतिबंध।

इंसानों की खरीद फरोख्त एवं बेगार तथा जबरन मजदूरी प्रतिबंधित है, अगर इस कानून के तहत उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।

खण्ड चार-राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

अनुच्छेद-39- राज्य द्वारा पालन करने के लिए कुछ नीतिगत सिद्धांत-

राज्य अपनी निती विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढाएगा कि -

1. मजदूरों, पुरूषों एवं महिलाओं तथा बच्चों के नाजुक स्नायु में उनके स्वास्थ एवं शक्ति का शोषण न हो।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

1. पैतृक संपत्ति में बेटे के समान ही बेटी को अधिकार-

9 सितम्बर 2005 को पैतृक सम्पत्ति में बेटे के समान ही बेटी को अधिकार देने वाला कानून संरकारी अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया।

2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-

26 अक्टूबर 2006 से लागू इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पति या साथ रहने वाले किसी भी पुरूष, उसके संबंधियों की हिंसा या प्रताड़ना से पत्नी या साथ रह रही किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करना है।

3. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

भारत सरकार ने सन् 1958 में शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला- शिक्षा समिति की नियुक्ती की। इस समिति को ''देशमुख समिति'' (Deshmukh Committee) भी कहां जाता है।

समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उनमें निम्नांकित सुझाव दिये।

- केन्द्रिय सरकार को स्त्री-शिक्षा को विशिष्ट समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
- केन्द्रिय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री-शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और केन्द्रिय सरकार को प्रसार-संबंधी समस्त व्यय का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
- पुरूषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विदयमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहिए।
- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को स्त्री-शिक्षा की समस्यायें पर विचार करने के लिए ''राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद'' नामक एक पृथक इकाई की सृष्टी करनी चाहिए।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अवधि सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

4. राष्ट्रीय महिला- शिक्षा परिषद (1959)

देशमुख समिति कि सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्रिय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का निर्माण किया। 1964 में इसका पुर्नगठन किया गया। इस समय इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य थे। इसके मुख्य कार्य अग्रलिखित है।

- विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा में संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।
- उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना।
- बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।
- उक्त शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगती पर दृष्टी रखना।

5. हंसा मेहता समिति (1962)

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का एक मुख्य कार्य-विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। इन समस्याओं में सर्वप्रमुख यह है-क्या विद्यालय स्तर पर बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अंतर होना चाहिए। परिषद में इस समस्या पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ती की जिसे 'हंसा मेहता समिति' कहा जाता है। इस समिति ने दो सुझाव प्रस्तुत किये, यथा-

- विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिए।

- भारत में अभी जनतन्त्रीय एवं समाजवादी समाज के निर्माण की प्रतिक्रिया चल रही है।

6. भक्त वत्सलम् समिति (1963)

इस समिति का गठन भक्त वत्सलम् की अध्यक्षता में 1963 में किया गया। इसका महिला शिक्षा में जनसहयोग के अभावों का पता लगाना था। इस समिति के प्रमुख सुझाव–

- बालिकाओं के लिए पृथक प्राथमिक विद्यालय खोलने का अर्थ है– अधिक खर्चा। अतः इस स्तर पर सह–शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाये।

- स्त्री– शिक्षा में पिछड़े राज्यों को केन्द्रिय अनुदान प्रदान किये जाये।
- स्त्री शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में परिषदों का गठन किया जाये।

7. कोठारी कमीशन व स्त्री– शिक्षा (1964–66)

कोठारी कमीशन ने स्त्री–शिक्षा के समस्त पक्षों के विषयों में महत्वपूर्ण सुझाव दिये है।

प्राथमिक शिक्षा–

कोठारी कमीशन ने बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के सम्बंध में अधोलिखित सुझाव दिये–

- बालिकाओं को बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिए जनमत का निर्माण किया जाये।

- बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें लेखन सामग्री एवं वस्त्र देकर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

- 11-13 वय वर्ग की बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

माध्यमिक शिक्षा-

- बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधायें प्रदान की जायें।

- बालिकाओ के लिए छात्रवृत्तियों और अल्पकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजनाऐं आरम्भ की जायें।

उच्च शिक्षा-

- बालिकाओं के लिए पूर्व-स्नातक स्तर पर पृथक कॉलेजों का निर्माण किया जाये।

- बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्रादयोगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य-विषयों में चयन करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाये।

- एक या दो विश्विविद्यालयों में स्त्री-शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान केन्द्रो की स्थापना की जाये।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति– (1986) स्त्री शिक्षा –

महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1951 तथा 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता 7.93 से बढ्कर 24.82 प्रतिशत हो गयी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

- लडकियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम।
- व्यावसायिक, तकनीकी, वृत्तिक शिक्षा तथा विदयमान और उभरती प्रादयोगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढाना।

– आचार्य राममूर्ति समिति में महिला शिक्षा के संबंध में निम्नांकित महत्वपूर्ण सिफारीश की है।

- कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाये।
- आँगनबाडी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाये ।
- 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाये ।
- 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया जाये।

Regional Institute of Education, Bhopal Library

- विद्यालय की समयावधि की स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।

- महिला शिक्षकों की संख्या बढायी जाये।

1.1.4 महिला समाख्या –

यह योजना (महिलाओं को समानता के लिए शिक्षा) केन्द्र सरकार द्वारा अवैध 1989 में शुरू की गयी। इसे इण्डोडच संयुक्त कार्यक्रम के रूप में नेदरलैण्ड सरकार से सत-प्रतिशत सहायता मिलती है। प्रारंभ में इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक, यू.पी. तथा गुजरात राज्य थे। परंतु अब इसका संचालन आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश तथा असम के 53 जिलों के 9000 ग्रामों में हो रहा है। महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक, और आर्थिक दृष्टी से पिछडी महिला वर्गों की शिक्षा तथा उनको अधिकार सम्पन्न करने का ठोस कार्यक्रम है। महिला समाख्या के उद्देश्य :-

1. महिलाओं की आत्मछवि तथा आत्मविश्वास को बढाना।
2. ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएँ वह ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके जो उनमें रचनात्मक भूमिका अदा करने में सहायता प्रदान करें।
3. महिला संघो की ग्रामों -में शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन तथा निगरानी करने योग्य बनाना।
4. महिलाओं तथा किशोर उम्र की लडकियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं और लड़कियों के औपचारीक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी संभव बनाना है।

1.1.5 कार्य- योजना 1992 तथा महिला शिक्षा-

1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कि प्रमाण 39.42 थी जबकी पुरूष साक्षरता प्रमाण 63.86 था। उस समय 196 मिलियन महिला निरक्षर थी। शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएँ अधिक निरक्षर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में जब 100 लडकियाँ प्रथम कक्षा में दाखिला लेती है। तो कक्षा 11 में केवल एक रह जाती हैं। जबकी शहरी क्षेत्रों में 14 रह जाती थी। तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा में भी शहरी क्षेत्रों की लडकियों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की लडकियां कम रहती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में ग्रामीण लडकियों की सहभागिता कम थी। कार्य-योजना में निम्न बातों पर बल दिया गया-

- सम्पूर्ण प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जायेगा जिससे महिलाओं को अधिकार प्रदान किया जा सके। अधिकार प्रदान करने में शिक्षा को एक सशक्त साधन बनाया जायेगा। जिससे निम्नांकित घटक होंगे-

1. महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढाना।
2. समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं कि छवि बढ़ाना।
3. समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना।
4. आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
5. शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य विशेषकर प्रजनन स्वास्थ जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना।

6. समाज़ में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी और सूचना तक उनकी पहुँच बढाना ताकि सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता बढायी जा सके।

- महिलाओं का स्तर बढाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के और अधिक विकास हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

- महिला-पुरूषों में भेदभाव के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यावसायिक, तकनीकी और परांगत शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं को शामिल करना इसके लिए लडकि़यों के लिए सभी स्कूलों में विज्ञान और गणित की पढाई प्रारंभ करके उन्हें सुदृढ़ बनाया जायेगा। इसके स्कूलों में अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश के लिए महिला आई.टी.आई. पॉलिटेकनिक में महिला खंडों को सशक्त बनाया जायेगा जिससे कि विषय क्षेत्रों व्यवसायों तथा पाठ्यक्रमों में वैविध्य लाया जा सके।

- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश की स्थिति में गुणवत्ता और संख्या दोनो दृष्टीयों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाया जायेगा।

- तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में क्रेडिट बैकिंग उद्यम क्षमता के संबंध में योग्यता विकसित की जायेगी। अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण स्कीम को सुदृढ बनाया जायेगा।

- महिलाओं तथा लड़कियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए माहोल बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक, प्रिंट तथा परम्परागत जनसंख्या माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार जनचेतना जमाने में सूचना और सम्प्रेषण प्रसार में पूरक की भूमिका निभायेगा।

1.1.6 संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानव विकास रिपोर्ट 1995 :-

"के अनुसार लैंगिक समानता के बिना मानव विकास असंभव है, जब तक महिलाओं को इस प्रक्रिया से दूर रखा जायेगा। तब तक विकास में विषमता बनी रहेगी।

1.1.7 NCF – 2005

अ) समानता का व्यवहार या लडकियों के संबंध में समान व्यवहार का औपचारिक दृष्टीकोण काफी नहीं है, इस दृष्टिकोण को कारगीर बनाया जाये कि परिणामों में समानता आए और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधाओं का भी ध्यान रखा जाये।

समानता कि दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को विद्यार्थियों विशेषकर लडकियों को सुजग बनाए ताकि वह समाज और राजनीति में योगदान दे। हमें यह ध्यान में रखना आवयश्क है कि अधिकार और सुविधा तब तक देना नहीं चाहिए, जब तक केन्द्रिय मनुष्य क्षमताओं का विकास न हो। इसलिए शिक्षित लडकियों में यह सुझ मुमकीन होनी चाहिए कि वह अपने अधिकार का दावा कर सके और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। शिक्षा उनमें यह सामर्थ दे सके कि वह सामाजीकरण के नुकसान को भर सके तथा अपने क्षमताओं का विकास कर सके ताकि आगे चलकर वह स्वायत्त और समान नागरिक बन सके।

ब) भारतीय सांस्कृतिक विशेषताऐं जातियता, आर्थिक तथा स्त्री-पुरूषों संबंधों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता, असमान विकास इससे शिक्षा कि प्राप्ति तथा स्कूलों में बच्चों कि सहभागिता को प्रभावित करती है।

स्कूलों में नामांकित होने वाले बच्चों और पढाई पूरी करने वाले बच्चों का अनुपात में उनके सामाजिक ओर आर्थिक समुदायों के बीच गहरी विषमता प्रतिबिंबित करती है। इसमें शहर और ग्रामीण के गरीब, धार्मिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय, अनूसचित जाति तथा अनुसूचित जनजातिय कि लडकियों की शिक्षा में ज्यादा असुरक्षितता है।

स) कोठारी आयोग के अनुसार समान स्कूली व्यवस्था हो जिसे संवैधानिक आधार हो जिसमें जाति, वर्ग, लिंग, स्थान आदि के भेदभाव बिना समान शिक्षा उपलब्ध करवाने का सामर्थ हो।

द) दिनता एवं असमानता लिंग, जाति, शारीरिक, मानसिक असमर्थताओं में निहित है। संविधान के समानता के मूल को हम तभी प्राप्त कर सकते जब शिक्षक को प्रशिक्षित करना होगा कि वे बच्चों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता कि समझ को विकसित करे जो खुद उनके साथ स्कूल तक आ जाती है।

1.1.8 वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, इस नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार :-

1. सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के द्वारा उनके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, ताकि उन्हें अपनी काबिलियत का अहसास हो।

2. महिलाओं को हर क्षेत्र में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि में पुरूषों की भांति अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त हो।

3. महिलाओं को सामाजिक,- राजनैतिक तथा आर्थिक निर्णय लेने की बराबरी का अवसर मिले।

4. महिलाओं को हर स्तर पर स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। कैरियर, व्यवसायिक गाइडेंस तथा रोजगार, बराबर सुविधाएँ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा सामाजिक सम्मान मिले।

5. महिलाओं से भेदभाव को रोकने वाले सारे कानूनी नियमों को और कड़ा किया जाए।

6. महिला एवं पुरूष के सामूहिक प्रयास द्वारा समाज तथा समुदाय के दृष्टिकोण तथा सोच को बदला जाए।

7. महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा तथा भेदभाव को खत्म करना।

8. महिलाओं के संगठन तथ अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ सहयोगिता को बढ़ाना।

1.1.9 महिलाओं के लिए अन्य शैक्षिक योजना –

1) महिला साक्षरता योजना –

यह योजना उस जिलें में शुरू कि जहांपें महिला साक्षरता प्रमाण 30 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश उडीसा राज्य में महिला शिक्षा प्रमाण देश में बहुत कम है, इस राज्य में यह योजना प्रभावी पद्धति से हो रही है। ताकि महिला साक्षरता का प्रमाण बड़े। इस योजना को

कारगीर तरीके से होने के लिए महिला स्वय सहायता समूह, महिला स्वयं सेवी शिक्षिका एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद ली।

2) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना –

इसके अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, इनमें आदि से अधिक महिलाऐं है। यह परियोजना अधिक बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिए संभावना रखती है। महिला अध्यापिकाओं की उपस्थिति में से पाठशाला में बालिकाओं के नाम लिखवाने में बढोत्तरी होने की संभावना मूर्त रूप ले रही है।

3) इंदिरा गांधी अध्यवसायी योजना –

इसके अंतर्गत सरकार द्वारा एकमात्र कन्या संतान को मौजूदा वित्तीय वर्ष से कक्षा 8 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने की योजना की गई है। कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर की उन छात्राओं को जो अपने माता–पिता की एक मात्र संतान है। इंदिरा गांधी अध्यवसायी के नाम से जाना जाएगा और उनके अध्ययन काल के दौरान पूरा समर्थन और सम्मान दिया जाएगा। विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदात्ताओं से अनुरोध किया जाएगा कि वे इन इंदिरा गांधी अध्यवसायियों को सभी प्रकार की रियायतें और सुविधायें प्रदान करें।

4) स्वस्थ सखी योजना (1997)

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन योग्य महिलाओं के स्वास्थ एवं योजना संबंधी आवश्यक जानकारी, उनमें स्वास्थ्य शिक्षा व स्वच्छता कार्यक्रम के प्रति जागरूकता प्रदान एवं सुरक्षित प्रसव हेतु आवश्यक जानकारियाँ व सुविधाऐं उपलब्ध कराना है।

5) महिला उत्थान योजना –

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली निर्धन महिलाओं में शिक्षा, स्वस्थ, स्वच्छता, आर्थिक गतिविधियों आदि को व्यवहारिक एवं तथ्यपरक, जानकारी उपलब्ध कराना है।

6) बालिका समृद्धि योजना –

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के लिए नकदी जमा करने का प्रावधान है, जिस पर मिलने वाला ब्याज बालिका की शिक्षा के लिए अदा किए जाता है तथा 18 वर्ष की आयु होने पर यह राशि उसे प्रदान की जाती है।

7) किशोरी शक्ति योजना –

किशोरियों (11–18 वर्ष) के लिए एक विशेष योजना है जिसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास योजना अवसंरचना का उपयोग करते हुए पोषाहार, साक्षरता तथा व्यवसायिक दक्षता सहित उनके समग्र विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है।

8) कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय (2004)

भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवासीय विद्यालय स्थापना के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई।

• वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है।

तालिका क्रमांक–1.1

आखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात

क्र.	सन	पुरूष	महिला
1	1901	1000	972
2	1911	1000	964
3	1921	1000	955
4	1931	1000	950
5	1941	1000	945
6	1951	1000	946
7	1961	1000	941
8	1971	1000	930
9	1981	1000	934
10	1991	1000	927
11	2001	1000	933

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय
Library

तालिका क्रमांक 1.2

भारत में साक्षरता का प्रमाण

क्र.	वर्ष	प्रमाण
1.	1951	18.33%
2.	1961	28.31%
3.	1971	34.45%
4.	1981	43.56%
5.	1991	52.21%
6.	2001	64.84%

तालिका क्रमांक 1.3

भारत में स्त्री–पुरुष साक्षरता प्रमाण

क्र.	वर्ष	कुल साक्षरता प्रमाण	स्त्री साक्षरता प्रमाण	पुरुष साक्षरता प्रमाण
1.	2001	64.84%	53.84%	75.26%

1.2 अध्ययन की आवश्यकता –

बाल्यावस्था से ही व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला रखी जाती है। इस अवस्था से डाले गये संस्कार संपूर्ण व्यक्तित्व का अंग बन जाते है। इस अवस्था से ही बच्चों में खोज, जिज्ञासा, विश्लेषण आदि प्रवृत्तियों का विकास होता है। लिंगभेद के प्रति जो रूढीवादी मानसिकता है और परिवर्तनवादी विचारधारा भी इसके प्रति विद्यार्थियों का क्या दृष्टिकोण है, यह एक समस्या के रूप में इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। छात्र एवं छात्राएँ के दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है या नहीं इसका अध्ययन आवश्यक है तथा ग्रामीण और शहरी भागों में लिंगभेद के प्रति अंतर है या नहीं यह जानना आवश्यक है।

1.3. समस्या कथन –

कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।

1.4. अध्ययन के उद्देश्य –

1. कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना।
2. कक्षा 9वी के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना।
3. कक्षा 9वीं के शहरी छात्राऐं एवं छात्रों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

4. कक्षा 9वीं के ग्रामीण छात्राऐं एवं छात्रों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

5. कक्षा 9वीं के ग्रामीण छात्राऐं एवं शहरी छात्राऐं का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

6. कक्षा 9वीं के ग्रामीण छात्रों एवं शहरी छात्रों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

1.5. परिकल्पनाऐं –

1. कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. कक्षा 9वीं के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. कक्षा 9वीं के शहरी छात्राऐं एवं छात्रों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. कक्षा 9वीं के ग्रामीण छात्राऐं एवं छात्रों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. कक्षा 9वीं के ग्रामीण छात्राऐं एवं शहरी छात्राऐं के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. कक्षा 9वीं के ग्रामीण छात्रों एवं शहरी छात्रों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.6. तकनीकी शब्दों की परिभाषाऐं –

1. लिंग समानता (Gender equality)

"स्त्री और पुरूष को लिंग के आधार पर नहीं बल्की उनकी शारीरिक और बौद्धिक काबिलियत पर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में समान अवसर मिलने चाहिये।

2. दृष्टिकोण (Perspective)

"किसी भी व्यक्ती का किसी पदार्थ एवं घटना को सोचने, समझने और देखने के पहलू को दृष्टिकोण कहते है।"

3. लैंगिक पक्षपात (Gender Biasing)

"स्त्री और पुरूषों के प्रति लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार और सोच को लैंगिक पक्षपात कहते है।

4. लिंग आचरण (Gender Practices)

"लिंग के आधार पर स्त्री और पुरूषों से व्यवहार और अभिवृत्ती की अपेक्षा को लिंग आचरण कहते है।"

5. लैंगिक निरपेक्षता (Gender Neutral)

"स्त्री और पुरूषों के प्रति लैंगिक निरपेक्षतापूर्ण व्यवहार और सोच को लैंगिक निरपेक्षता कहते है।"

6. लैंगिक असमानता (Gender unequality)

"लिंग के आधार पर स्त्री और पुरूषों के प्रति भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवहार और आचरण को लैगिंक असमानता कहते है।"

1.7 समस्या का सिमाकंन

- प्रस्तुत शोधकार्य पुणे जिले के दौंड तहसील तक ही मर्यादित है। जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं।
- प्रस्तुत शोधकार्य कक्षा 9 के विद्यार्थियों तक सीमित है।
- ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों तक सीमित है।
- विद्यार्थियों की उम्र 14-15 साल के बीच सीमित है।